

संपत्ति अवधार प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या

19

आवेदन सं०

557

19

श्री/श्री

Vishal Kumar Mishra & others.

13-1-18

ने गैर धर्म आवेदन दिया है कि निम्नलिखित संपत्ति के संबंध में निम्नलिखित संभववाहों और अवधारों का संचिकरण प्रमाण पत्र दिया जाये। (आवेदन में दिये गये संपत्ति के अनुसार संचिकरण दे।)

इसलिपे मैं इसको द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले संभववाहों और अवधारों के बारे में यही मैं और उससे सम्बद्ध अनुक्रमीकरण में हूँ।

2005 19 40 से जा: Toll Gate

उक्त संपत्ति को यहाँ और ऐसी जगहों के बाद निम्न संभववाहों और अवधारों का पता चलता

चला है मत:

लिखित /

क्र० सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रतिष्ठा के प्र० निर्देश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	वर्ग	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Dist - Patna -

Mauza - Mushtapur

P.S. - Danapur A/P Khagaul

P.S. No. - 36

Khata No. - 195

Tanghi No. - 5276

Plot No. - 105

Area - 36-71875 Dec. Madhawi

Sub Registry Office, Danapur

Receipt for search, inspection and copy

Vishal Kumar Mishra

Misc token no.

Serial no. 557

Year

Date

Received from

Following fees:

F (i) - 0

F (iii) - 0

G - 0

F (ii) - 0

F (iv) - 0

G(a) - 0

Total - 0

300

Non-encumbrance

1. दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।
 2. चक्रों पर जो दिशा व्यवस्था को और सुरक्षा को अवधि दर्ज करें। यहाँ को इनके बारे में उल्लेख हो।
 1. पट्टे की दशा में पट्टे को अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।
- ये सब जमावत करता है कि तत्सम संस्थाओं और आगंतुकों को जोड़ एक संस्था को जमावत करने वाले किसी अन्य संस्थाओं और आगंतुकों को पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशों को प्रमाण-पत्र तैयार किया:

(हस्ताक्षर) *Chandra*

(पदनाम): *UPC.*

तलाशों को सत्यापन और प्रमाण को जोड़ निम्न व्यक्ति ने करें:

(हस्ताक्षर): *शैलेन्द्र*

(पदनाम): *L.O.C*

कार्यालय: *Danapur.*

तारीख: *14-1-18*



मुद्र एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी:- इस प्रमाण-पत्र में जो संस्थाओं और अवधारणाओं में है वे आवेदन द्वारा प्रस्तुत संस्थाओं के अनुसार हैं। यदि आवेदन द्वारा किये गये विवरण में भ्रम विवरण देकर किसी किसी संस्थाओं को निर्दिष्ट दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वेसी दस्तावेजों में प्रमाणित संस्थाओं (इन्वेस्टमेंट) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2. निबंधन अधिनियम को धारा 4-9 के अधीन जो व्यक्ति (व्यक्तियों) और अनुक्रमणिका (इन्वेस्टमेंट) को प्रमाणित करना चाहते हैं अथवा इनकी प्रमाणित करने चाहते हैं कि वे निबंधन अधिनियम के अन्तर्गत प्रमाणित करने चाहते हैं। निबंधन अधिनियम के अन्तर्गत प्रमाणित करने के लिए और अनुक्रमणिका इनके पास सामने रखदी जायेंगी।

X () किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदन ने इनके तलाशों नहीं की है, इसीलिए कार्यालय अपेक्षित तलाशों प्रमाण को किसी भी रूप में नहीं देगा।

✓ () और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदन ने अपेक्षित तलाशों नहीं की है, और चूंकि उसके बाद वह गये संस्थाओं और अवधारणाओं को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिखा है, इसीलिए विभाग आवेदन द्वारा दिये गये गये संस्थाओं और अवधारणाओं को धृष्ट के लिए किसी तरह निबंधन न होगा जिससे तक संस्था या प्रमाण नहीं होगा।

कार्यालय: *148 Danapur. 16-1-18*

आवेदक को: *Vishal Kumar Mishra & others*

को अवधारणा प्रमाण पत्र जारी: *State Bank of India. RACPS Patna.*

को आवेदन पत्र संख्या: *11/1/18*

के प्रमाण में अध्यापक को जारी है।
Vishal
निबंधन पदाधिकारी
14-1-18